

रैट-होल कोयला खनन

संदर्भ

हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में एक रैट-होल कोयला खदान ढह गई जिसमें जसिसे लगभग 15 लोगों की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि प्रतर्बंध के बावजूद रैट-होल खनन मेघालय में प्रचलित प्रथा बनी हुई है। आइये जानते हैं कयिह प्रथा असुरक्षति क्यो है और असुरक्षति होने के बावजूद इतने व्यापक स्तर पर क्यो अपनाई जाती है?

रैट-होल खनन क्या है?

- भारत में अधिकांश खनजि राष्ट्रियकृत हैं और इनका नषिकर्षण सरकारी अनुमतिके पश्चात् ही संभव है।
- कति उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रो में खनजिों का स्वामतिव व्यक्तगित स्तर पर व समुदायो को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के वशाल नकिषेप पाए जाते हैं।
- जोवाई व चेरापूँजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यो द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में कयिा जाता है, जसि रैट-होल खनन कहते हैं।
- इसमें बहुत छोटी सुरंगो की खुदाई की जाती है, जो आमतौर पर केवल 3-4 फीट ऊँची होती हैं जसिमें प्रवेश कर श्रमकि (अक्सर बच्चे भी) कोयले का नषिकर्षण करते हैं।

रैट-होल खनन प्रथा पर प्रतर्बंध

- राष्ट्रिय हरति अधकिरण (National Green Tribunal) ने मेघालय में 2014 से अवैज्जानकि और असुरक्षति कोयला खदानो पर प्रतर्बंध लगा रखा है।

पारसिथतिकि

- एनजीटी के पास दायर की गई याचकिा में असम दीमासा छात्र संघ और दीमा हसओ जलिा समति ने बताया था कि मेघालय में रैट-होल खनन ने कोपलि नदी (यह मेघालय और असम से होकर बहती है) को अम्लीय बना दिया है।
- एनजीटी ने अपने आदेश में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खनन क्षेत्रो के आसपास सड़को का उपयोग कोयले के ढेर को जमा करने के लयि कयिा जाता है जो वायु, जल और मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।
- इस पूरे क्षेत् में ट्रक और अन्य वाहनो के ऑफ-रोड आवागमन की वजह से क्षेत् की पारसिथतिकि को नुकसान पहुँचता है।

जीवन को भी खतरा

- एनजीटी के अनुसार, बरसात के मौसम में रैट-होल खनन की वजह से घटति काफी मामले संज्जान में आते हैं। खनन क्षेत्रो में जल प्लावन की वजह से कर्मचारयो/श्रमकिो सहति कई अन्य व्यक्तयो की मौत हो जाती है।

कसि हद तक हो रहा है रैट-होल खनन?

- उपलब्ध सरकारी आँकड़ों के मुताबकि, NGT द्वारा प्रतर्बंध के आदेश से पहले मेघालय का वार्षकि कोयला उत्पादन करीब 6 मिलियन टन था।
- ऐसा माना जाता है कि इस उत्पादन का ज़्यादातर हसिा रैट-होल खनन प्रथा द्वारा प्राप्त होता था।
- एनजीटी ने केवल रैट-होल खनन पर ही नहीं बल्कि सभी 'अवैज्जानकि और अवैध खनन' पर भी प्रतर्बंध लगाया है।
- मेघालय में खनन हेतु पहले से ही 'मेघालय खान और खनजि नीति, 2012' लागू है कति खान और खनजि (वनिियमन और वकिास) अधनियिम सहति तमाम केंद्रीय कानूनो के तहत मंजूरी तथा अनुमति लेनी आवश्यक होती है।

राज्य का रुख क्या है?

- NGT ने पाया कि मेघालय की 2012 की नीति रैट-होल खनन की समस्या का समाधान करने में असफल है क्योकयिह नीति रैट-होल खनन की समस्या का समाधान करने की जगह इसे बढ़ावा देने की बात करती है।

